भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1374
9 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्री संसाधनों का संरक्षण

1374. श्री नलीन कुमार कटील:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में समुद्री संसाधनों के संरक्षण और परिरक्षण की तत्काल आवश्यकता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का समुद्री संसाधानों के संरक्षण और परिरक्षण हेतु स्थानीय समुदायों को जोड़ने/ शामिल करने का कोई विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए वित्तीय प्रावधान किया है ; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार ने कानून के कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी के माध्यम से तटीय और समुद्री संसाधनों, विशेष रूप से आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और उनके प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहले ही कई पहल की हैं। कुछ उदाहरण हैं:

(i) वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया, (1972) कई समुद्री जीवों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। भारत में तटीय क्षेत्रों को कवर करने वाले कुल 31 प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है।
(ii) 1993 में गठित मैनग्रोव, आर्द्रभूमि और प्रवाल भित्तियों पर राष्ट्रीय समिति ने समुद्री प्रजातियों के संबंध में प्रासंगिक नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार को परामर्श देती है।
(iii) तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना (1991 और बाद के संस्करण) नाजुक तटीय पारिस्थितिक तंत्र में विकासात्मक गतिविधियों और कचरे के निपटान पर निषेध लगाते हैं।
(iv) भारतीय जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियमावली 2004, और उसके दिशानिर्देश सरकार को जैव विविधता के संरक्षण और परिरक्षण, सतत उपयोग और इसके घटकों के समान बंटवारे, बौद्धिक संपदा अधिकार, आदि से संबंधित मामलों पर परामर्श देते हैं।

(v) मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना लागू कर रहा है। इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं (क) एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन और (ख) मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा।

(vi) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र (सीएमएलआरई), पारिस्थितिक तंत्र निगरानी और मॉडलिंग गतिविधियों के माध्यम से समुद्री सजीव संसाधनों के लिए प्रबंधन रणनीतियों के विकास के लिए अधिदेशित है। 24 वर्षों के सर्वेक्षण अध्ययनों के आधार पर, इसने संरक्षण के हॉटस्पॉट सहित भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर जैव विविधता पहलुओं पर एक व्यापक ज्ञान आधार तैयार किया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। स्थानीय समुदायों की भागीदारी को अक्सर समुद्री संसाधनों के संरक्षण के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र लक्षद्वीप द्वीप समूह के मछुआरे समुदाय को सहायता देने के लिए सामाजिक सेवाओं पर एक अंतर्निर्मित घटक के साथ समुद्री सजीव संसाधन (एमएलआर) पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। सामाजिक सेवा पहल का उद्देश्य जंगल में सजावटी और चारा मछली के स्टॉक को बढ़ाना है। कार्यक्रम के तहत, समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र ने "लक्षद्वीप द्वीप समूह में समुद्री सजावटी मछली प्रजनन और पालन" पर प्रायोगिक प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की है। इसके अलावा, मत्स्य विभाग की प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना के तहत, मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सतत समुद्री मत्स्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, मत्स्य पालन प्रबंधन योजनाओं के विकास, एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांवों के विकास, सागर मित्र को बढ़ावा देने मछली पकड़ने के जहाजों में जैव शौचालय, संचार और ट्रैकिंग उपकरण, मछली प्रतिबंध अवधि के दौरान मत्स्य परिवारों को आजीविका सहायता आदि की स्थापना के प्रावधान हैं।

(ङ) और (च) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 2017-20 की अवधि के दौरान, समुद्री सजीव संसाधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 84.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

******